निर्णय बइजलास श्री दिव्यांशु शर्मा आर.ए.एस
उप खण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा उद्घोषित

प्रकरण सं. 1/2013
दायरा दिनांक:- 2.1.2013
निर्णय दिनांक :- 14.3.22

उनवान

मदनगोपाल पुत्र भवानीशंकर जाति ब्राह्मण निवासी बराना तह. बारां

बनाम

1. गिरधर गोपाल पुत्र जगन्नालाल
2. योगेश कुमार पुत्र जगन्नालाल
3. कमलाबाई बेवा जगन्नालाल
4. सिधीबाई बेवा रामपाल
5. बसन्त कुमार पुत्र जानकीलाल
6. हेमन्त कुमार पुत्र जानकीलाल
7. हजारीबाई बेवा जानकीलाल जाति मीणा निवासी बराना तह. बारां
8. नन्दकिशोर पुत्र गुडकीलाल जाति ब्राह्मण निवासी बराना तह. बारां
9. मांगीलाल पुत्र जगन्नालाल
10. अशोक कुमार पुत्र जगन्नालाल
11. जगदीश प्रसाद पुत्र जगन्नालाल
12. गोपाल लाल पुत्र जगन्नालाल
13. राजेन्द्र कुमार पुत्र जगन्नालाल
14. लाडकंवर पुत्री जगन्नालाल जाति ब्राह्मण निवासी बराना तह. बारां
15. रविन्द्र कुमार पुत्र जानकीलाल जाति मीणा निवासी बराना तह. बारां
16. राज. सरकार जरिये तहसीलदार बारां

प्रार्थना पत्र धारा 251 RTA

निर्णय दिनांक :- 14.3.22

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:01:15 IST
Reason: SelfAttested

अभिभाषक उपस्थित : 1. श्री ... जैन - प्रार्थी, ओम नारायण
2. श्री ... शर्मा - प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 A RTA

लगातार -2

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

विरुद्ध अप्रार्थी गण के न्याया० में इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम बराना तह० बारां में आराजी ख.नं. 867/773 रकबा 4.32हे. कृषि स्थित है जो वादी के राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है, प्रार्थी अपने इस खेत पर आने जाने के लिए ख.नं. 775 व 772 का ख.नं. 776 की मेड पर होकर आना जाता है तथा इन मेरे खेत पर होकर आने जाने के अलावा वादी के खेत पर जाने का कोई रास्ता नहीं है, ख.नं. 772, 775, 776 व 773 के जो खातेदारान है उन सबको इस प्रकरण में पक्षकार बनाया गया है, प्रार्थी के खेत पर आने जाने के लिए जो रास्ता प्रार्थी उपयोग करता है उस पर होकर ही उसके खेत पर आने जाने के लिए ट्रैक्टर व कृषि के अन्य साधन फसल आदि व फसल काट लाने के लिए इसी रास्ते का उपयोग व उपभोग करता है इस रास्ते के अलावा उसके खेत पर आने जाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। वर्तमान में राज० टेनेन्सी एक्ट की धारा 251 A के तहत खेत पर आने जाने व कृषि यन्त्रों को लाने ले जाने के लिए प्रावधान किया है जिसके तहत उपरोक्त ख.नं. पर मेड पर 30 फीट का रास्ता राजस्व-कागजात में अंकन करवाया जावे ताकि प्रार्थी उस रास्ते पर होकर मौके में अपने खेत पर आने जाने के लिए उसका उपयोग व उपभोग कर सके। धारा 251 A RTA की पालना के लिए प्रार्थी इच्छुक तत्पर है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी गण को नोटिस जारी तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश हुआ। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबंदी ग्राम बराना सम्वत 2067-70 खाता सं. 299, नकल जमाबंदी ग्राम बराना सम्वत 2067-70 खाता सं. 183, नकल जमाबंदी सम्वत 2067-70 खाता 69, नकल जमाबंदी ग्राम बराना सम्वत 2067-70 खाता सं. 86, नकल जमाबंदी ग्राम बराना सम्वत 2067-70 खाता सं. 145, नकल जमाबंदी ग्राम बराना सम्वत 2067-70 खाता सं. 38 पेश की गयी नकल नक्शा ट्रेस ग्राम बराना पेश किया गया।

बहस अंतिम अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गयी। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया - वकील प्रार्थी का कथन है कि प्रा[illegible] खातेदारी की आराजी वाके ग्राम बराना में ख.नं. 867/773 [illegible] स्थित है प्रार्थी अपनी भूमि पर ख.नं. 772, 775, 776, 773 के खातेदारान की भूमि की मेड पर होकर आता जाता है। उक्त आराजी नम्बरान की [illegible] खातेदारान की भूमि की मेड पर होकर ट्रैक्टर, हल, फसल काटने व ढोने के साधन आते जाते रहे है

लगातार 3

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:01:15 IST
Reason: SelfAttested

[signature]

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

विपक्षी अतिक्रमी को मौके पर से हटाकर निकालने में परेशानी होती है उनको अपना रास्ता योजना की धारा 251 A के तहत लेना चाहता है एवं धारा 251 A की सम्पूर्ण पालना करने के लिए प्रार्थी तत्पर तैयार है प्रार्थी को धारा 251 A RTA के तहत ख.नं. 772, 775, 776, एवं 773 की मेड़ पर रास्ता दिलाया जावे।

वहीं अभिभाषक अप्रार्थी सुनी गयी बहस के दौरान वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब के अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील अप्रार्थी का कहना है कि प्रार्थी उक्त ख.नं. 772, 775, 776, 773 की मेड़ पर होकर नहीं निकलता है प्रार्थी अप्रार्थीगण की भूमि में होकर जबरन रास्ता कायम करवाना चाहता है प्रार्थी का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थी कभी उक्त खसरा नम्बरात के अतिक्रमण की मेड़ पर होकर नहीं निकलता था। प्रार्थी को अपनी भूमि पर जाने के लिए रास्ता अन्य जगह पर होकर था प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उचित योग्य नहीं है निरस्त किया जावे।

वहीं अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गयी पत्रावली एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम बराना संवत 2067-70 खाता सं. 299 PWD के खातेदारी में दर्ज है नकल जमाबंदी ग्राम बराना संवत 2067-70 खाता नं. 183, रघुवीर, केदारनाथ के खातेदारी में दर्ज है नकल जमाबंदी ग्राम बराना संवत 2067-70 खाता सं. 69 जगन्नाथ के काश्तकार के खातेदारी में दर्ज है नकल जमाबंदी ग्राम बराना संवत 2067-70 खाता नं. 86 में नन्दकिशोर के नाम दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबंदी ग्राम बराना संवत 2067-70 खाता नं. 145 प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबंदी ग्राम बराना संवत 2067-70 खाता सं. 38 में अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज जमाबंदी है तहसीलदार बारां से विवादित रास्ते बाबत मौका रिपोर्ट ली गयी। तहसीलदार बारां ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भूमि के आस पास के खसरा नम्बरों का मौका देखा गया। राजस्व रिकार्ड अनुसार ख. नं. 772 व 776 जलवाड़ा सम्पर्क सड़क के किनारे पर है यहां से प्रार्थी द्वारा रास्ता चाहा गया है। राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार पृष्ठ भाग पर नजरी नक्शा अंकित है। प्रार्थी की भूमि पर पहुंचने हेतु सड़क से उत्तर की ओर 138 मीटर, वहां से 28 मीटर पश्चिम, पुनः उत्तर दिशा में चलना होगा इस प्रकार सड़क से तकरीबन 42[illegible] तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार ख.नं. 772 व 776 की मेड़ पर होकर 30 [illegible] तथा पश्चिम से 26 मी. तथा 775 व 772 की मेड़ पर 82 मी., [illegible] मी. तथा उत्तर से 772 व 773 की मेड़ पर 58 मीटर तक प्रार्थी को रास्ता देने का प्रस्तावित होना बताया है। तहसीलदार बारां की रिपोर्ट एवं नजरी नक्शा के अनुसार प्रार्थी की भूमि तक

लगातार-4

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:01:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

जाने हेतु राज्य सरकार के नियमानुसार वर्तमान डी.एल.सी. दर का दो गुना राशि का मुआवजा खातेदारान को ~~अदा~~ भुगतान करने पर रास्ता दिया जाना न्यायोचित है।

निर्णयात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्देशित किया जाता है कि उक्त बराना तह. बारां में प्रार्थी के खातेदारी की भूमि ख.नं. 867/773 तक आने जाने हेतु ख.नम्बर 772, 773, 775, 776 की मेड के सहारे 30 फुट का रास्ता कायम किया जाता है। प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वर्तमान डी.एल.सी. की दर का दो गुना तहसीलदार बारां को जमा कराया जावे। तहसीलदार बारां प्रार्थी द्वारा जमा कराई जाने वाली राशि का भुगतान ख.नं. 772, 773, 775, 776 के खातेदारान को किया जाकर राजस्व रिकार्ड में रास्ता ~~कायम~~ दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(दिव्यांशु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
बारां
उपखण्ड अधिकारी बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:01:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner